भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1599
02 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ

1599. श्री बैन्नी बेहननः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग से संबंधित ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल सरकार किसी नए फूड स्टार्टअप्स की शुरुआत कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) हमारे देश में खाद्य उद्योग के महत्व से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2011-12 के दौरान एनएसएसओ द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार, प्रसंस्कृत खाद्य जैसे तैयार मिठाइयां, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, चॉकलेट, पापड़, भुजियां, नमकीन, चिप्स, अचार, चटनी, जैम, जेली का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है । सर्वेक्षण के अनुसार, ऐसे उत्पादों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 58.60 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 66.69 रुपए है ।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की अपनी केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है । पीएमकेएसवाई में सात घटक स्कीमें अर्थात; (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना, (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (iv) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन, (v) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, (vi) खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान हैं । पीएमकेएसवाई संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला अर्थात खेत से लेकर उपभोक्ता तक मजबूत आधुनिक अवसंरचना सृजित करने के लिए तैयार की गई है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर चयनित राज्यों में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसल मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास हेतु पीएमकेएसवाई की वर्टीकल स्कीम के रूप में "ऑपरेशन ग्रीन्स" स्कीम भी चला रहा है ।

व्यक्ति, किसान, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज), उद्यमी, सहकारी समितियां, सोसायटियां, स्व-सहायता समूह (एसएचजीज), निजी कंपनियां और केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि केरल राज्य सहित देश के किसी भी भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पीएमकेएसवाई की स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

(घ): राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने वर्ष 2017-18, में अखिल भारतीय जीवीए (सकल मूल्यवर्धन) में 1.59% का योगदान दिया । उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रमुख रोजगार सघन खंडों में से एक है जो सभी पंजीकृत फैक्ट्री क्षेत्र में उत्पन्न रोजगारों का 12.43% बनता है । प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र भी देश के कुल निर्यात का लगभग 11% बनता है ।

****